




बिहार सरकार



श्री जीतन राम मांझी
माननीय मुख्य मंत्री

ग्रामीण विकास विभाग काम मांझी अभियान

14-06-14



श्री नीतीश मिश्रा
माननीय मंत्री,
ग्रामीण विकास विभाग

मनरेगा अंतर्गत 16 जून से 22 जून, 2014 तक इच्छुक परिवारों से काम के मांग का सृजन के लिये विशेष अभियान का आयोजन।

इस आयोजन में

1. पंचायत रोजगार सेवक व्यक्तिगत रूप से वार्ड सदस्य के साथ वार्ड के हर परिवार से सम्पर्क करेंगे।
2. मनरेगा अंतर्गत काम करने को इच्छुक परिवार का आवेदन प्रपत्र-क में पंचायत रोजगार सेवक प्राप्त करेंगे तथा तिथि युक्त पावती रसीद देंगे। कृपया पावती रसीद अवश्य लें। काम के मांग का आवेदन पूरे साल किसी भी दिन अपने वार्ड सदस्य को दिया जा सकता है। वार्ड सदस्य इन आवेदनों को समीक्षित कर ग्राम पंचायत के कार्यकारिणी की बैठक में पंचायत रोजगार सेवक को अग्रतर कार्रवाई के लिये सौंप देंगे। यह बैठक प्रत्येक मंगलवार को पंचायत मुख्यालय में आयोजित की जाती है।
3. मनरेगा अंतर्गत इच्छुक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में पूरे 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। आप एक साथ 100 दिनों का अथवा अलग-अलग माह में अपने जरूरत के अनुसार काम की मांग कर सकते हैं।
4. जो परिवार मनरेगा अंतर्गत काम करना नहीं चाहते हैं, पंचायत रोजगार सेवक उनसे अनिच्छा प्रमाण पत्र (प्रपत्र-ख) प्राप्त करेंगे तथा अभिलेख में संचारित करेंगे। कृपया इच्छुक नहीं होने पर ही अनिच्छा प्रमाण पत्र को भरें।
5. यदि मनरेगा अंतर्गत काम करने को इच्छुक किसी परिवार के पास जाँबकार्ड नहीं है, तो इस अभियान के दौरान ही उनसे आवेदन प्राप्त कर उन्हें जाँबकार्ड निर्गल किया जायेगा तथा उनसे काम के मांग का आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

विभाग द्वारा टॉल फ्री हेल्प लाईन नं.

180001208001

की शुरुआत की गई है। इस नं. पर नि:शुल्क फोन कर काम की मांग या कोई शिकायत/ परामर्श को दर्ज कराया जा सकता है। इस अभियान के दौरान यदि पंचायत रोजगार सेवक आपके वार्ड में नहीं आते हैं तो इसकी शिकायत आप इस हेल्प लाईन नंबर पर अवश्य करें।

सभी वार्ड सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने वार्ड के सभी परिवारों को इस अभियान के प्रति जागरूक करने तथा पंचायत रोजगार सेवक के साथ रहकर काम के मांग को सृजित करने में सहयोग करेंगे।

पंचायत के अन्य जनप्रतिनिधियों, कर्मियों तथा विकास मित्रों से भी अनुरोध है कि वे लोगों को जागरूक करें तथा इस अभियान को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दें।

“काम की मांग कर काम प्राप्त करना आपका अधिकार है”

निवेदक
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार।

प्रपत्र-ख

अनिच्छा आवेदन पत्र का प्रपत्र

मैं पिता/पति जो ग्राम..... जिला

जाब कार्ड संख्या..... प्रखंड

पंचायत जिला

का निवासी हूँ, यह वक्तव्य देता हूँ कि पंचायत रोजगार सेवक द्वारा मुझे मनरेगा में काम के अधिकार के संबंध में सारी जानकारी दी गयी है, परंतु मैं मनरेगा अंतर्गत काम करने का इच्छुक नहीं हूँ। (उपरोक्त लिखी बातें मुझे पढ़कर सुना दी गयी है तथा मैंने सब समझ कर अंगुठा का निशान बनाया है।)

(परिवार के व्यस्क सदस्य का हस्ताक्षर/अंगुठा का निशान)

जाब कार्ड संख्या

गवाह का हस्ताक्षर

1. (नाम.....), जाबकार्ड संख्या.....

2. (नाम.....), जाबकार्ड संख्या.....

(पंचायत रोजगार सेवक का हस्ताक्षर)

(वार्ड सदस्य का प्रतिहस्ताक्षर)

क्र. सं.	रोजगार चाहने वाले जाँब-कार्डधारियों का नाम	पिता / पति का नाम	जाँब कार्ड संख्या	दिनों की संख्या (जिनके लिये रोजगार चाहिये)	दिनांक से	दिनांक तक	आवेदन का नाम (खाता के अनुसार- अंग्रेजी में)	शाखा का नाम एवं कोड सं०	खाता सं०	आवेदन का हस्ताक्षर/अंगुठा निशान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

काम सं०-1 पर दर्ज आवेदक श्री/श्रीमति से रोजगार मांगने का आवेदन पत्र जिरिये वार्ड सदस्य श्री/श्रीमति को प्राप्त हुआ।

संज्ञित अन्य आवेदकों का मनरेगा योजनांतर्गत काम पंचायत, से रोजगार मांगने का आवेदन पत्र जिरिये वार्ड सदस्य श्री/श्रीमति को प्राप्त हुआ।

क्र. सं.	रोजगार चाहने वाले जाँब-कार्डधारियों का नाम	पिता / पति का नाम	जाँब कार्ड संख्या	दिनों की संख्या (जिनके लिये रोजगार चाहिये)	दिनांक से	दिनांक तक	आवेदन का नाम (खाता के अनुसार- अंग्रेजी में)	शाखा का नाम एवं कोड सं०	खाता सं०	आवेदन का हस्ताक्षर/अंगुठा निशान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

उक्त जाँब-कार्ड धारकों का मनरेगा योजनांतर्गत काम पंचायत, से रोजगार मांगने का आवेदन पत्र दिनांक को प्राप्त हुआ।

हस्ताक्षर
रूप से रोजगार सेवक